किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को सश्रम कारावास

जासं • श्रावस्ती : किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषी को एडीजे ने 15 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को तीन वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

विशेष लोक अभियोजक रोहित कुमार गुप्ता ने बताया कि भिनगा क्षेत्र के एक गांव की किशोरी 28 मई 2018 की रात लगभग आठ बजे रिश्तेदार की बेटी के साथ शौच के लिए घर से बाहर गई थी। लौटते समय रास्ते में अमरूद के पेड़ पर बैठा गांव का ही बलीराम उर्फ बल्ले पेड़ से कूद कर किशोरी का मुंह साधकर थोडी दूर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म करने लगा। उसकी रिश्तेदार चिल्लाते हुए घर आई। कुछ देर बाद किशोरी की मां मौके पर पहुंच गई।

आरोपित मौके से भाग गया। पीड़िता के मां की तहरीर पर भिनगा कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ। विचारण व सुनवाई के बाद एडीजे निर्दोष कुमार ने आरोपित को दोष सिद्ध ठहराते हुए सजा सुनाई है।

गैंगस्टर एक्ट का वांछित गिरफ्तार

श्रावस्ती। इकौना थाने के लैबुडवा इटवरिया निवासी राम गोपाल पुत्र राम दुलारे पर उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। इकौना पुलिस ने आरोपी के घर दबिश देकर उसे अन्धरपुरवा पुल से गिरफ्तार कर लिया।